रघुनाथ बनाम सुदामादास आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए क्रमांक 175 /2016

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 09.03.18 | वकील उभय पक्ष उपस्थित । अपीलांट ने यह अपील उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।<br><br>उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।<br><br>प्रार्थी/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में सुदामादास , अंगद कुमार एवं तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पक्षकार बनाया। जबकि अवमानना प्रार्थना पत्र पद के विरूद्ध न होकर व्यक्ति के विरूद्ध पेश होता है। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि प्रकरण माननीय राजस्व मंडल में विचाराधीन होते हुए आदेश की पालना नहीं होती है तो अवमानना का प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो ।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>श्रीगंगानगर (राज.) | |